शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

क्रमांक 7(8)कार्मिक/क–2/2008पार्ट जयपुर, दिनांकः 15 NOV 2019

विषयः–ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण–पत्र बनाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

सन्दर्भः–आपका पत्र क्रमांक 527 दिनांक 29.07.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ आप द्वारा पूछे गये बिन्दु संख्या 03, 04 एवं 05 के क्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता हैः–

3. क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर हेतु सेवाओं का वर्गीकरण वेतनमान के आधार पर न करते हुए पत्र दिनांक 02.05.2019 के अनुसार राज्य सेवाएँ एवं अधीनस्थ सेवाओं के अनुसार ही रखा जाना है।
4. 40 वर्ष के उपरान्त सीधी भर्ती से वर्ग–I में आने वाला व्यक्ति और 40 वर्ष के उपरान्त पदोन्नति से वर्ग–I में आने वाला कर्मचारी दोनों ही नॉन–क्रीमीलेयर में आयेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा।
5. इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2019 के द्वारा दिया गया निर्देश उक्त दिनांक के पश्चात बनाये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र बनाने पर लागू होंगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर्स (समस्त संभागीय आयुक्त सहित), राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

उप शासन सचिव

D:\Vishnu\2019\2019\letter 2019.docx katara.docx

Scanned by CamScanner

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

403539
Date 3/5/19
OFFICE

03/05/19

क्रमांक:- 7(3)कार्मिक/क-2/2008 जयपुर, दिनांक 2 MAY 2019

विषय: अधिसूचना क्रमांक एफ 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 17(2)नियम/93-94/पार्ट 1/02 दिनांक 03.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम मे निदेशानुसार लेख है कि अधिसूचना दिनांक 25.08.2009 के क्रम में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। अतः पत्र मे सन्दर्भित बिन्दुओं के क्रम में इस विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:-

1. उक्त अधिसूचना के तहत राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में वर्ग-I का तात्पर्य राज्य सेवाओं तथा वर्ग-II का तात्पर्य अधीनस्थ सेवाओं से लिया जावे। राज्य में सभी विभागों मे राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं से सम्बन्धित नियम बने हुए है जिनमें पद विशेष के राज्य या अधीनस्थ सेवा में होने का स्पष्ट उल्लेख है।
2. क्रीमीलेयर के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी के माता-पिता के राजकीय सेवा में होने पर ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स के स्थान पर केवल पद की श्रेणी अर्थात राज्य/अधीनस्थ या अन्य सेवा आदि को ही देखा जाना है।
3. प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा (Lecturer) का पद राज्य सेवा का है और एक अभ्यर्थी 40 वर्ष या उससे कम की आयु में उक्त पद पर भर्ती होता है तो वह क्रीमीलेयर की श्रेणी में आयेगा। इसके अलावा कोई अभ्यर्थी वर्ग-II अर्थात अधीनस्थ सेवा में रहते हुए 40 वर्ष या उससे कम की आयु में वर्ग-I अर्थात राज्य सेवा का अधिकारी बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वह क्रीमीलेयर की श्रेणी में आयेगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

5.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त कलक्टर्स (समस्त संभागीय आयुक्त सहित), राजस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-GR- II)

No. F7 (8)DOP/A-2/2008 Jaipur, dated 19/2/2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the clause (b) of section 2 of the Rajasthan scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009) and clause (c) of section 2 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (Act No. 38 of 2017), the State Government hereby makes the following amendments in this departments notification number F.7 (8)DOP/A-2/2008 dated 25.08.2009, namely:-

Amendments

In the said notification,-

(i) for the existing expression "Special Backward Classes", wherever occurring, the expression "More Backward Classes" shall be substituted; and

(ii) in column 3, against serial number VI, for the existing expression "Rs. 4 lakh & Fifty Thousands", the expression "rupees eight lakh" shall be substituted.

शिक्षक समाचार राजस्थान

By order and in the name of the Governor,

Roli Singh

(Roli Singh)
Principal Secretary to the Government

11/2019

संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण).

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

No. F. 7(1)DOP/A-II/99 Jaipur, dated: 26 JUL 2017

1. All Additional Chief Secretaries/
   Principal Secretaries/Secretaries/
   Special Secretaries to Government.

2. All Heads of Departments (including
   Divisional Commissioners and
   Distt. Collectors).

Circular

Subject-Treatment to be given to the candidates belonging to the SC/ST/BC who are selected against unreserved category vacancies on the basis of their merit.

In supersession of this department's circular even number dated 04.03.2014 on the above-mentioned subject, the matter has been examined in consultation with the Law Department in the light of judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No.3609 of 2012- Deepa E.V. V/s Union of India and Ors. dated 06.04.2017, following instructions are hereby issued for the guidance of all Appointing Authorities:-

(a) If a candidate belonging to SC/ST/BC has not availed of any of the special concessions such as in age-limit, marks, physical fitness etc. in the recruitment process, which are available to the candidates belonging to these categories, except the concession of fees, and he secures more marks than the marks obtained by the last UR category candidate who is selected, such a candidate belonging to the SC/ST/BC shall be counted against the UR category vacancies and not the vacancies reserved for the SC/ST/BC, as the case may be.

(b) If any SC/ST candidate gets selected against the UR category vacancies on the basis of his merit without availing of any of the special concessions which are available to the candidates belonging to these categories, except the concession of fees, such a SC/ST candidate will be treated as a SC/ST candidate, as the

case may be, for all further services matters, including further promotions, and all the benefits which are admissible to the other SC/ST persons under the various service rules/government instructions shall be admissible to them.

(c) The SC/ST/BC category candidates who get selected against UR category vacancies on the basis of their merit without availing of any of the special concessions which are available to the candidates belonging to these categories, except the concession of fees, will not be counted against the posts reserved for these categories when it comes to the question of determining the total number of posts occupied by the candidates of these categories in the particular post/cadre.

All the Appointing Authorities are requested to ensure compliance of the above mentioned instructions. Cases disposed of before above instructions shall not be re-opened.

(Bhaskar A. Sawant)
Secretary to Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Secretary to Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble CM.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur.
4. Secretary, RPSC, Ajmer.
5. Secretary, RSMSSB, Jaipur.
6. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
7. Secretary, Rajasthan Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
8. Secretary, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur.
9. Guard File.

Secretary to Government

38/2017

शैक्षिक समाचार राजस्थान

D:/Vishnu/Circular/2017

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

(अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग)

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/– रूपया

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को √ से चयन करें)

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1 प्रार्थी का नाम* :–

2 पिता का नाम* :–

3 निवास स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :–

(ख) स्थाई पता :–

4 गाँव/शहर *: तहसील*:– जिला*:–

5 जन्म दिनांक* ____/_____/_____ जन्म स्थान :– उम्र

6 लिंग*:– पुरूष महिला वैवाहिक स्थिति :– विवाहित अविवाहित

7 धर्म* :– जाति*:– **अन्य/विशेष पिछडा वर्ग** उपजाति*:–

8 अन्य/विशेष पिछडा वर्ग की राज्य सूची में जाति का क्रमांक संख्या :–

9 क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* ? हाँ नहीं

10 मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबन्धित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

11 क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है (हाँ/नहीं) : .....

2. माता–पिता/पति की व्यावसायिक परिस्थिति व आय का विवरण –

(क) संवैधानिक पद, (ख) सरकारी सेवायें(केन्द्रीय / राज्य), (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन, (घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे), (ड.) व्यवसायी वर्ग (उनको छोडकर जो मद संख्या (ख) और (ग)में के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार कारोबार और उघोग में लगाये हुए व्यक्ति), (च) कृषि जोतें (माता, पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में), अन्तराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र, युनीसेफ विश्व में स्वास्थ्य संगठन में नियोजन)

संगठन का नाम*

पद का नाम* ग्रेड(वर्ग)

वेतनमान* ₹ अक्षरे– ₹

स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान

(I) समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय) को उपवर्जित करते हुये।

(II) क्या कर देता है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों की रिटर्न की प्रति दी जावें।

(III) क्या धन कर अधिनियमों के अन्तर्गत आता है (हाँ/नहीं) यदि ऐसा है, तो ब्यौरा दीजिये।

3. मृत्यु/स्थाई अक्षमता **(यदि लागू नहीं हो तो छोड दीजिये)**

(I) अधिकारी की मृत्यु/स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो ___/____/_____

(II) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक : ____/_____/_____

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

4. **प्रमाण–पत्र**

(i) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ कार्यालय का नाम _____

पद _____ पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को भली प्रकार से जानता हूँ ये **अन्य/विशेष पिछडे वर्ग** की जाति _____ का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ कार्यालय का नाम _____

पद _____ पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को भली प्रकार से जानता हूँ ये **अन्य/विशेष पिछडे वर्ग** की जाति _____ का/की है, तथा उन्के द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहो एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुत्री श्री _____ जाति **अन्य/विशेष पिछडे वर्ग** की उपजाति _____

का/की हैं। प्रार्थी क्रिमलियर की श्रेणी मे आता है/नहीं आत है।

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं. .....

---

5. नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करे :–

आवेदक की **नवीनतम फोटो** जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये **शपथ पत्र** को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनैक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, **आय प्रमाण पत्र**/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा – संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिलापरिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर(सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबधिति पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर / बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/कनिष्ट अभियन्ता/बीट प्रभारी (पुलिस) आदि।

6. **शपथ–पत्र / बयान***

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

निवासी _____

गाँव / शहर _____ तहसील _____ जिला _____

राजस्थान का / की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि –

(1) मैं राजस्थान के पिछडे वर्गो की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछडा वर्ग की जाति _____ का / की सदस्य हूँ ।

(2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्व अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं / नहीं थे।

(3) मेरे माता / पिता सरकारी / निजी क्षेत्र में पद _____ पर कार्यरत है / थे।

(4) मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय _____ ₹ है।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट(विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(7) यह कि मैने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्ठियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं अन्य पिछडे वर्गों की **क्रिमीलियर का हूँ / नहीं हूँ** और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता / नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊँगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

वास्तव में क्रीमीलेयर मापदंड क्या हैं?

WHAT ARE THE ACTUAL CREAMY LAYER CRITERIA?

वास्तव में क्रीमीलेयर मापदंड (केन्द्रीय) दिनॉकः 08–09–1993 में अकेला वार्षिक आय का नियम नहीं है, उसमें कुल 6 नियम हैं, जैसे नौकरी हेतु 'पद' का व किसानों हेतु 'भूमि' का नियम है। इन नियमों के तहत् मुख्यतः निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री क्रीमीलेयर हैं–

Actually there are 6 rules in creamy layer criteria (Central) Dated 08.09.1993, like rule of 'post' for service category & rule of 'land' for farmers instead of having a single annual income rule. As per these 6 rules mainly the sons & daughters of followings are creamy layer-

(I) अतिविशिष्ट व्यक्ति– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि।
(I) V.V.I.Ps.- President, Vice-President, Judges of the Supreme Court and of the High Courts etc.

(II) केन्द्र या राज्य के शासकीय या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी–
(II) Government or PSU employees of Central or State-

(i) माता–पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास वन ऑफिसर भर्ती हुआ हो,
(i) parents, either of whom is a Class I officer (direct recruits)

(ii) माता–पिता 'दोनों' डायरेक्ट क्लास टू ऑफिसर भर्ती हुए हों,
(ii) parents, both of whom are Class II officers (direct recruits)

(iii) पिता, डायरेक्ट क्लास टू ऑफिसर, परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास वन में पदोन्नत।
(iii) parents of whom only the father is a direct Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.

(III) माता–पिता में से कोई एक मिलेट्री में कर्नल या उससे उपर के स्तर का अधिकारी।
(III) In military, parents, either of whom is in the rank of Colonel and above.

(IV) व्यापार, उद्योग और व्यवसाय में लगे ऐसे व्यक्ति जिनकी पिछले लगातार 3 वर्षों की कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग–अलग 4.50 लाख रुपये से अधिक हो।
(IV) Persons engaged in Profession, Trade and Industry whos last three year's separate annual income is more then Rs. 4.50 lakhs per year.

(V) कृषकों में ऐसे परिवार जिनके पास (i) सीलिंग लिमिट के 85 प्रतिशत से अधिक 'सिंचित' भूमि हो। अथवा (ii) कितनी भी असिंचित भूमि हो तो पुत्र/पुत्री क्रीमीलेयर में नहीं आएंगे।
(V) Families owns agriculture land having (i) 'irrigated land', more than 85% of the statutory ceiling area or (ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.

(VI) जिनकी वेतन एवं कृषि भूमि की आय को छोड़कर पिछले लगातार 3 वर्षों से कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग–अलग 4.50 लाख रुपये से अधिक हो।
(Vi) Persons having separate gross annual income of Rs. 4.50 lakhs per year or above for a period of last three consecutive years excluding income from salaries & agricultural land.

टीप– अधिक जानकारी हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड दिनॉकः 08–09–1993 देखें।
Note- For details see Central creamy layer criteria of Govt of India Dt. 08.09.1993

क्रमशः/Continued

विशेष टीप/Special Note

(1) नियम क्रमॉक (IV) एवं (VI) हेतु वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये की गई। (आदेश दिनॉकः 14–10–2008)

(1) For Rule no. (IV) & (VI) the annual income limit enhanced to Rs. 4.50 lakhs. (O.M. dated 14.10.2008)

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय व्दारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (आदेश दिनॉकः 14–10–2004)–

(2) Important creamy layer Clarifications by Government of India Ministry of Personnel (O.M. dated 14.10.2004)-

(i) *किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा।* इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता–पिता के वेतन से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य श्रोतों (व्यापार) से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो तो भी आय के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी।

(i) *To determine creamy layer status of any candidate as given in Category-VI of the Schedule to the OM, income from the salaries and income from the agricultural land shall not be taken into account*. It means that if income from salaries of the parents of any candidate is more than Rs.4.5 lakh per annum, income from agricultural land is more than Rs.4.5 lakh per annum, but income from other sources (business) is less than Rs.4.5 lakh per annum, the candidate shall not be treated to be falling in creamy layer on the basis of Income/Wealth Test.

(ii) उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के दर्जे का निर्धारण उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जावेगा न कि उसकी अपनी स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर। अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नही रखा जाएगा।

(ii) The creamy layer status of a candidate is determined on the basis of the status of his parents (Father-mother) and not on the basis of his own status or income or on the basis of status or income or on the basis or status or income of his/her spouse. Therefore, while determining the creamy layer status of a person the status or the income of the candidate himself or of his/her spouse shall not be taken into account.

(3) केन्द्रीय ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील में प्रस्तुत किए जाने वाले, भारत सरकार के निर्धारित आवेदन–पत्र प्रारुप में 'वेतन की आय' व 'कृषि–आय' दर्शाने हेतु कोई कॉलम ही नही है।

(3) There is no any column to show the 'salary-income' or 'agriculture-income' in application format prescribed by Govt of India to be produced in Tehsil to get central OBC caste certificate.

(4) केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड दिनॉकः 08–09–1993 के–

(4) As per Central creamy layer criteria Dt. 08.09.1993-

(i) नियम (II) (ii) के तहत् माता–पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू ऑफिसर या माता–पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू ऑफिसर व दूसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी या माता–पिता दोनों डायरेक्ट तृतीय श्रेणी कर्मचारी होने पर भी उम्मीदवार को क्रीमीलेयर नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।

(i) Rule (II) (ii), if parents, either of whom is a direct Class II officer or parents, either of whom is a direct Class II officer & another is a Class III employee or parents, both of whom are Class III employees the candidate shall not be treated as creamy layer & will be eligible for OBC reservation irrespective of any salary income.

(ii) नियम (II) (iii) के तहत् पिता डायरेक्ट तृतीय श्रेणी कर्मचारी, परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास वन में पदोन्नत होने पर भी उम्मीदवार को क्रीमीलेयर नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।

(ii) Rule (II) (iii), if parents of whom only the father is a direct Class III employee and gets into Class I at the age of 40 or earlier the candidate shall not be treated as creamy layer & will be eligible for OBC reservation irrespective of any salary income.

(iii) नियम (II) के तहत् सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, बीमा संगठन, विश्वविद्यालय इत्यादि के कर्मचारियों का क्रीमीलेयर निर्धारण शासकीय पदों के समतुल्य अथवा समकक्षता के आधार पर किया जाएगा, भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।

(iii) Rule (II), creamy layer determination of employees under PSUs, Banks, Insurance Organisations, Universities, etc. will be done on equivalent or comparable basis to government posts irrespective of any salary income.

(5) केन्द्रीय पदों या केन्द्रीय प्रवेश जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. (ए.आई.ई.ई.ई.), एम्स, कृषि, मेडिकल महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों इत्यादि में ओ.बी.सी. आरक्षण प्राप्त करने के लिये भारत सरकार की पृथक से जारी जातियों की केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची के आधार पर केन्द्रीय प्रारुप (हर रोजगार समाचार में उपलब्ध) में पृथक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य की कई जातियॉ केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं होने व कई स्थानों पर राज्य व केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो में भिन्नता होने से राज्यों के आरक्षण हेतु जारी ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र केन्द्रीय आरक्षण हेतु मान्य नहीं हैं।

(5) To get OBC reservation in central posts or central admissions like IAS, IPS, BANK, RALWAYS, IIT, NIT(AIEEE), AIIMS, AGRICULTURE, MEDICAL COLLEGES & CENTRAL UNIVERSIY etc. a separate OBC certificate is required on the basis of central list of OBCs issued by Govt of India in central format (available in every Employment News). As some of the state OBC castes are not included in central list of OBCs & at many places there is a difference between state & central creamy layer criteria, the state OBCs certificates are not allowed in central reservation..

Ref: User Forum

From : Anil Gandhi

Documents Required for Non-Creamy Layer Certificate:

Certificate will be issued normally within 15 days after submission of documents.

All documents should be attached.

Application forms should be signed by applicant. In case the applicant is a minor, it should be signed by the Adult guardian.

Applicant should produce all original documents at the time of submission of Documents at SETU office.

Attestation to be done by SEO / Gazetted Government Officers only

Document Qty Req. / Optional Type

1. Application duly signed by an Applicant (It should not be filled & signed by the Candidate who is Minor) -> Qty 1 ->Required Original
2. Rs. 5 Court Fee Stamp -> Qty 1 -> Required

3. Caste Certificate of Candidate -> Qty 1 -> Required Xerox(Attested)
4. a) Income of all earning family members should be mentioned in application for Affidavit. If, they are not employed, then it should also be clearly mentioned in the Affidavit. b) Bonafide Certificate should be produce in case of Children who are studying. 1 Required Xerox(Attested)
5. Bonafide Certificate of Candidate. (Candidate is the person for which certificate is required. Application should be made by Major person. It is not necessary that Application should be made by Candidate, who is Minor. Applicant can be a Father, Mother, Major Brother/Sister.) -> Qty 1 -> Required Original
6. Parent Income Certificate (Last 3 Financial years)
1. Income Tax Return copy should be attached. AND / OR
2. The persons who are not filing Income Tax Return and are not employed should produce Income Certificate of local Corporator. AND / OR
3. The persons who are employed but not filing the Income Tax Return should submit the 'Salary Certificate'. 1 Required Xerox(Attested)

(If the parent owns an Agricultural land, Farm House or any other business, please give details)

4. Residence Proof (Ration Card /Rent / Maintenance Receipt / Landline Telephone Bill / Electricity Bill) 1 Required Xerox(Attested)
5. Affidavit in Prescribed Format. -> Qty 1 -> **Required Original**

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0प09(8)कार्मिक/क–5/90 जयपुर, दिनांक 10.10.2008

निदेशक,
मुद्रण एंव लेखन सामग्री,
जयपुर।

विषयः–अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.09.93, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गो के आरक्षण के लिये मापदण्ड निर्धारित हैं, में किये गये संशोधन की सलग्न अधिसूचना दिनांक 10.10.2008 को कृपया राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग (ग) एस0आर0 दिनांक 10.10.2008 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)।
3. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
4. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं0 181/2008 दिनांक 06.10.2008 के सन्दर्भ में।
5. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 10.10.2008 के राज0 राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस0आर0 में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से सम्बन्धित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) सचिवालय, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
3. पंजीयक, राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), राज0, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महो0, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-V)

No.F.9(8)DOP/(A-V)/90 Jaipur,dated 10.10.2008

NOTIFICATION

The Governor of Rajasthan is hereby pleased to make the following amendment in this Department Notification of even number dated 28/9/93 (as amended from time to time) regarding reservation for Backward Classes in posts and services under the Government of Rajasthan ,with immediate effect,namely:-

AMENDMENT

In the Schedule appended to the said Notification, the existing clause (a) appearing in column No.3 against Serial Number VI, shall be substituted by the following namely:-

"(a) Persons having gross annual income of rupees Four lakhs and fifty thousand or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years."

By Order of the Governor,

Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0एफ.9(8)डी.ओ.पी./ए–V/90 जयपुर, दिनांक 10.10.2008

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में इस विभाग की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 28–09–93 (समय–समय पर यथा संशोधित) में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में, कम संख्या VI के सामने स्तम्भ संख्या 3 में आये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) चार लाख पचास हजार रूपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले या धन कर अधिनियम में यथा विहित छूट–सीमा से अधिक धन कमवर्ती तीन वर्षों की कालावधि तक रखने वाले व्यक्ति।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव

शैक्षिक समाचार राजस्थान

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-ए के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2.. वित्त सेवा विभाग, नई दिल्ली

3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली

4. रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली

5. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडलीय सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजाना आयोग

6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

9. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, त्रिकुट -1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

10. महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

12. एनआईसी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर OMs & orders > Estt.(Res.) > SC/ST/OBC तथा 'What's New' पर इसे अपलोड कर दें।

प्रतियां पेषित :

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

संख्या 36033/5/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 14 अक्तूबर, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषयः- अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-(एस.सी.टी.) की अनुसूची, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने संबंधी मानदंड विहित हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों के बच्चों के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि ऐसे पुत्र तथा पुत्री/पुत्रियाँः-

(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं;

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी है;

(ग) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(घ) जिनके माता-पिता में से एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(ङ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं और जिनकी मृत्यु हो जाए अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(च) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हैं;

.....2/-

(छ) जिनके माता-पिता में से एक केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी है और वह 40 वर्ष अथवा इससे पूर्व की आयु में श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी बन जाए;

(ज) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(झ) जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए; तथा

( ) जिनके माता-पिता में से पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए

तो उन्हे सम्पन्न वर्ग में शामिल समझा जाएगा ।

2. अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ:-

(i) जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हों और यथा नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ;

(ii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(iii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाएँ, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग में सम्मलित नहीं समझे जाएँगे ।

.....3/-

3. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे के निर्धारण के लिए तय किए गए मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होते हैं । ऐसे संगठनों जहाँ पदों का मूल्यांकन समकक्ष अथवा तुलनीय आधार पर नहीं किया गया है, के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण अनुसूची में दिए गए आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है । आय/सम्पत्ति परीक्षण में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा इससे अधिक है अथवा जिनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से लगातार तीन वर्ष तक अधिक रहती है तो उनके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग में शामिल समझे जाएँगे । आय/सम्पत्ति कर परीक्षण के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि वेतन से हुई आय अथवा कृषि से हुई आय को जोड़ा नहीं जाएगा ।

4. सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :

(i) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ ?

(ii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?

(iii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ?

(iv) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा श्रेणी के कारण सम्पन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सम्पन्न वर्ग में बने रहेंगे ?

.....4/-

(v) क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे, जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो ?

(vi) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पहले श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(vii) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा जिसकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?

(viii) अनुदेशों में यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ?

(x) आय/सम्पत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जाएगा" की व्याप्ति किस सीमा तक है ?

5. उपर्युक्त पैरा 4 के खंड (i), (ii), (iii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ जिनके :-

(क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;

(ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए; और

(ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ, भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

.....5/-

सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6. पैरा 4 के खंड (iv) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग में शामिल माना गया है, सम्पन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो ।

7. पैरा 4 के खंड (v) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ, जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाएं, सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी-IV/समूह 'घ' कर्मचारी हैं और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे ।

8. पैरा 4 के खंड (vi), (vii) और (viii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा 4 के खंड (ix) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:-

माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए । यदि माता-पिता की वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में से कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है, के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं

.....6/-

माना जाएगा, चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक ही क्यों न हो । यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जाएगा ।

10. पैरा 4 के खंड (X) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI में दिए गए अनुसार किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा । इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तो आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बशर्ते कि उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों की अवधि से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

11. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/कार्यालयों के ध्यान में ला दें ।

भवदीय,

(के. जी. वर्मा)
भारत सरकार के उप सचिव

प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस पत्र की विषय वस्तु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें ।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिग प्रभाग) नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

- - - - - -

संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियां ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सं. 36033/4/97-स्था.(आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : जुलाई 25, 2003

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुदाय तथा उनके सम्पन्न वर्ग के नहीं होने की स्थिति का सत्यापन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रश्न उठा है कि सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की वैधता की अवधि क्या हो । अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के दो भाग होते हैं । इस प्रमाण-पत्र का पहला भाग यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किसी समुदाय का है, जिसे प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और इस प्रमाण-पत्र का दूसरा भाग यह दर्शाता है कि वह पिछड़ों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेअॅर) का नहीं है । किसी उम्मीदवार के किसी अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति तभी बदल सकती है, जबकि उसका समुदाय, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए, किन्तु उसके सम्पन्न वर्ग का होने या नहीं होने की स्थिति किसी भी समय बदल सकती है । इसके मद्देनज़र, अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है ।

2. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी, अपनी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति' के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे । जैसा कि उपर्युक्त पैरा में इंगित किया गया है, उम्मीदवार के किसी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और/अथवा उसके 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति', उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद बदल सकती है और उसे आरक्षण का अपात्र बना सकती है । यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रपत्र में

.....2/-

अधिकारिक उद्घोषणा करवा ली जाए कि आरक्षण प्राप्त करने के अपात्र उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास नहीं करें :

"मैं.....पुत्र/पुत्र श्री.....निवासी ग्राम/क़स्बा/ शहर.....ज़िला.....राज्य..... एतद्द्वारा यह घोषित करता/ करती हूँ कि मैं .....समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत-सरकार द्वारा एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।"

3. अन्य पिछड़े वर्गों को देय आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले नियोक्ता प्राधिकारी, उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय के प्रमाण-पत्र की सच्चाई और इस तथ्य का भी सत्यापन कर लें कि वह निर्णायक तारीख़ को सम्पन्न वर्ग का/की नहीं है । इस प्रयोजन से निर्णायक तारीख़, उन मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में किसी पद के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाए, जिनमें निर्णायक तारीख़ अन्यथा तय की गई हो ।

4. इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/9/95-स्था. (एस.सी.टी.) द्वारा यह तय किया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति की पेशकश में, इस आशय का एक खण्ड जोड़ दिया जाए कि नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति का सत्यापन किए जाने और उसके सही पाए जाने की शर्त पर है । चूँकि आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को ही सुलभ है जो सम्पन्न वर्ग के नहीं हों, नियुक्ति की पेशकश में जोड़ा जाने वाला उपर्युक्त खण्ड, उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग का होने की स्थिति पर भी ध्यान दिए जाने की दृष्टि से आशोधित किया जाना आवश्यक है । अतः यह तय किया गया है कि नियुक्ति की पेशकश में, इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित आशोधित खण्ड शामिल किया जाए :

"नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय का होने के प्रमाण-पत्र का समुचित माध्यम से सत्यापन किए जाने पर, सही पाए जाने की शर्त पर है । यदि

.....3/-

उपर्युक्त सत्यापन से यह ज़ाहिर हुआ कि उम्मीदवार का अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा सम्पन्न वर्ग के नहीं होने का दावा झूठा है तो कोई भी कारण बताए बिना उसकी सेवाएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगीं और उसके द्वारा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अपराध के कारण, भारतीय दण्ड-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश-निदेश, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत-सरकार के उप सचिव
दूरभाषः 23092797

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा -सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति -सचिवालय/प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग-आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।

शिक्षक समाचार राजस्थान

ANY PERSON OF INDIA, ABLE TO SHOW "WHERE IS THE COLUMN TO WRITE GOVT. SALARY INCOME IN PRESCRIBED CENTRAL APPLICATION FORM TO GET OBC CERTIFICATE?" WILL BE AWARDED "CASH PRIZE"
(The CENTRAL APPLICATION FORM is available on website WWW.OBCGURU.COM)

Dear Sirs,

The eligible OBC candidates are not getting caste certificate due to misinterpretation of creamy layer criteria Dt. 08.09.1993, especially in case of sons/daughters of government servants.

NORMALLY AN OBC CANDIDATE HAVING PARENT'S SALARY INCOME ABOVE Rs. 4.50 LAKH DONT TRIES TO GET OBC NON-CREAMYLAYER CASTE CERTIFICATE, WHICH IS A TOTALLY WRONG CONCEPT.

In creamy-layer criteria issued by Ministry of Personnel (DOPT) Government of India New Delhi vide O.M. No.36012/22/93-Est. (SCT) dated 8.9.1993 (also adopted by Supreme Court in recent judgment on Civil writ petition no. 265/2006 of 27% obc reservation in Central higher educational institutions) following important point is misinterpreted due to which whole country is confused including OBCs and authorities issuing the caste certificate.

(1) Actually the annual income limit of Rs. 4.50 lakhs is not applicable to "government servant's salary income" & "farmer's agricultural income". It is the limit for "business income" only.

(2) In rule- (6) showing the creamy-layer annual income criteria of Rs.4.50 lakhs following explanation is already given:

"Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed with total income"

"कुल वार्षिक आय में वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।"

It means that income from salaries and agricultural land both will not be added with the annual income because to determine creamy layer status there are separate rule number (2) & (3) provided on the basis of "post held" for salaried persons & rule number (5) of "land holdings" for persons holding agricultural land. Hence they cannot be checked by salary/agricultural income.

(3) The criterion (2) & (3) clearly speaks that only the sons and daughter of following "government servants" will be treated as creamy-layer.
(i) Parents, either of whom is a Class I officer. (Direct Recruitment)
(ii) Parents, both of whom are Class II officers. (Direct Recruitment)
(iii) Parents of whom only the father is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.
(iv) In military, colonel and above.

"Other than the above 4, all the government servants are not creamy-layer."

(4) The criteria (5) clearly speak that only following "farmers" will be treated as creamy-layer.
(i) Having, only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statuary ceiling area.
(ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively un-irrigated.

A very clear creamy layer clarification regarding not to include salary and agricultural income vide DOPT O.M. dated 14 October 2004 Para-10, is also available on website WWW.OBCGURU.COM.

"This information may please be circulated to all."

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-ए के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2.. वित्त सेवा विभाग, नई दिल्ली

3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली

4. रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली

5. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडलीय सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजाना आयोग

6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

9. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, त्रिकुट -1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

10. महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

12. एनआईसी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर OMs & orders > Estt.(Res.) > SC/ST/OBC तथा 'What's New' पर इसे अपलोड कर दें।

प्रतियां पेषित :

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

संख्या 36033/5/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 14 अक्तूबर, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषयः- अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-(एस.सी.टी.) की अनुसूची, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने संबंधी मानदंड विहित हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों के बच्चों के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि ऐसे पुत्र तथा पुत्री/पुत्रियाँः-

(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं;

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी है;

(ग) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(घ) जिनके माता-पिता में से एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(ङ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं और जिनकी मृत्यु हो जाए अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(च) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हैं;

.....2/-

(छ) जिनके माता-पिता में से एक केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी है और वह 40 वर्ष अथवा इससे पूर्व की आयु में श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी बन जाए;

(ज) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(झ) जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए; तथा

( ) जिनके माता-पिता में से पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए

तो उन्हे सम्पन्न वर्ग में शामिल समझा जाएगा ।

2. अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ:-

(i) जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हों और यथा नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ;

(ii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(iii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाएँ, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग में सम्मलित नहीं समझे जाएँगे ।

.....3/-

3. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे के निर्धारण के लिए तय किए गए मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होते हैं । ऐसे संगठनों जहाँ पदों का मूल्यांकन समकक्ष अथवा तुलनीय आधार पर नहीं किया गया है, के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण अनुसूची में दिए गए आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है । आय/सम्पत्ति परीक्षण में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा इससे अधिक है अथवा जिनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से लगातार तीन वर्ष तक अधिक रहती है तो उनके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग में शामिल समझे जाएँगे । आय/सम्पत्ति कर परीक्षण के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि वेतन से हुई आय अथवा कृषि से हुई आय को जोड़ा नहीं जाएगा ।

4. सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :

(i) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ ?

(ii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?

(iii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ?

(iv) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा श्रेणी के कारण सम्पन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सम्पन्न वर्ग में बने रहेंगे ?

.....4/-

(v) क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे, जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो ?

(vi) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पहले श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(vii) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा जिसकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?

(viii) अनुदेशों में यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ?

(x) आय/सम्पत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जाएगा" की व्याप्ति किस सीमा तक है ?

5. उपर्युक्त पैरा 4 के खंड (i), (ii), (iii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ जिनके :-

(क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;

(ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए; और

(ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ, भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

.....5/-

सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6. पैरा 4 के खंड (iv) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग में शामिल माना गया है, सम्पन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो ।

7. पैरा 4 के खंड (v) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ, जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाएं, सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी-IV/समूह 'घ' कर्मचारी हैं और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे ।

8. पैरा 4 के खंड (vi), (vii) और (viii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा 4 के खंड (ix) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:-

माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए । यदि माता-पिता की वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में से कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है, के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं

.....6/-

माना जाएगा, चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक ही क्यों न हो । यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जाएगा ।

10. पैरा 4 के खंड (X) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI में दिए गए अनुसार किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा । इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तो आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बशर्ते कि उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों की अवधि से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

11. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/कार्यालयों के ध्यान में ला दें ।

भवदीय,

(के. जी. वर्मा)
भारत सरकार के उप सचिव

प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस पत्र की विषय वस्तु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें ।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिग प्रभाग) नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

- - - - - -

संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

शिक्षक समाचार राजस्थान

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियां ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सं. 36033/4/97-स्था.(आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : जुलाई 25, 2003

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुदाय तथा उनके सम्पन्न वर्ग के नहीं होने की स्थिति का सत्यापन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रश्न उठा है कि सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की वैधता की अवधि क्या हो । अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के दो भाग होते हैं । इस प्रमाण-पत्र का पहला भाग यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किसी समुदाय का है, जिसे प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और इस प्रमाण-पत्र का दूसरा भाग यह दर्शाता है कि वह पिछड़ों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेअॅर) का नहीं है । किसी उम्मीदवार के किसी अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति तभी बदल सकती है, जबकि उसका समुदाय, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए, किन्तु उसके सम्पन्न वर्ग का होने या नहीं होने की स्थिति किसी भी समय बदल सकती है । इसके मद्देनज़र, अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है ।

शिक्षक समाचार राजस्थान

2. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी, अपनी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति' के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे । जैसा कि उपर्युक्त पैरा में इंगित किया गया है, उम्मीदवार के किसी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और/अथवा उसके 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति', उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद बदल सकती है और उसे आरक्षण का अपात्र बना सकती है । यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रपत्र में

.....2/-

अधिकारिक उद्घोषणा करवा ली जाए कि आरक्षण प्राप्त करने के अपात्र उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास नहीं करें :

"मैं.....पुत्र/पुत्र श्री.....निवासी ग्राम/क़स्बा/ शहर.....ज़िला.....राज्य..... एतद्द्वारा यह घोषित करता/ करती हूँ कि मैं .....समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत-सरकार द्वारा एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।"

3. अन्य पिछड़े वर्गों को देय आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले नियोक्ता प्राधिकारी, उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय के प्रमाण-पत्र की सच्चाई और इस तथ्य का भी सत्यापन कर लें कि वह निर्णायक तारीख़ को सम्पन्न वर्ग का/की नहीं है । इस प्रयोजन से निर्णायक तारीख़, उन मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में किसी पद के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाए, जिनमें निर्णायक तारीख़ अन्यथा तय की गई हो ।

4. इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/9/95-स्था. (एस.सी.टी.) द्वारा यह तय किया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति की पेशकश में, इस आशय का एक खण्ड जोड़ दिया जाए कि नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति का सत्यापन किए जाने और उसके सही पाए जाने की शर्त पर है । चूँकि आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को ही सुलभ है जो सम्पन्न वर्ग के नहीं हों, नियुक्ति की पेशकश में जोड़ा जाने वाला उपर्युक्त खण्ड, उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग का होने की स्थिति पर भी ध्यान दिए जाने की दृष्टि से आशोधित किया जाना आवश्यक है । अतः यह तय किया गया है कि नियुक्ति की पेशकश में, इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित आशोधित खण्ड शामिल किया जाए :

"नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय का होने के प्रमाण-पत्र का समुचित माध्यम से सत्यापन किए जाने पर, सही पाए जाने की शर्त पर है । यदि

.....3/-

उपर्युक्त सत्यापन से यह ज़ाहिर हुआ कि उम्मीदवार का अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा सम्पन्न वर्ग के नहीं होने का दावा झूठा है तो कोई भी कारण बताए बिना उसकी सेवाएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगीं और उसके द्वारा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अपराध के कारण, भारतीय दण्ड-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश-निदेश, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत-सरकार के उप सचिव
दूरभाषः 23092797

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा -सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति -सचिवालय/प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग-आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।

(60)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:–एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 जयपुर दिनांक 09/09/2015

जाति प्रमाण–पत्र – दिशा निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध मे निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. जाति प्रमाण पत्र :– जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समय–समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल जातियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
2. जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी– जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जायेगें।
3. जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया:–

(A) आवेदक–

(i) राजस्थान राज्य का मूल निवासी :– ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

(ii) अन्य राज्यो से माईग्रेट होकर आये व्यक्तियो के संबंध मे :– यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माईग्रेट होकर शिक्षा/रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य मे स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यही से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य मे जन्म के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु पात्र होगी।

(B) आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

(i) SC/ST हेतु आवेदन परिशिष्ट 'अ' अनुसार

(ii) OBC/SBC हेतु आवेदन परिशिष्ट 'क' अनुसार

सलंग्न दस्तावेज सूची

(i) राशनकार्ड/मतदाता सूची/ अचल सम्पति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज/ किरायानामा / गैस कनेक्शन/ बिजली, पानी, टैलिफोन का बिल/शिक्षा प्रमाण–पत्र।

(ii) पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो) भूमि की जमा बन्दी, आय प्रमाण–पत्र हेतु (जिनके पास आई.टी.आर एवं राज्य/केन्द्रीय

अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/पे स्लीप नही है तो निर्धारित प्रमाण–पत्र मे दो अलग–अलग राज्य केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र सलंग्न करे) आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/ मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमे जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया जावेगा

(III) OBC/SBC के लिये उत्तरदायी व्यक्तियो द्वारा देय साक्ष्य (परिशिष्ट–ब) अनुसार, उत्तर दायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच / राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से है।

(IV) आवेदन पत्र मे आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति मे उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नही है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड मे उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

(C) <u>आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप:–</u>

(I) सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर आदि से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पत्रांक संख्या BC.12025/2/76- SCT.I 22 मार्च 1977 (प्रति संलग्न परिशिष्ट–k)आवेदक के पैतृक/ स्वंय के राजस्व रिकार्ड आदि मे उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमे उसके स्वयं /पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

(II) SC/ST एवं OBC/SBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 'ब' 'ख' 'ग' अनुसार ही मान्य होगा।

(III) OBC/SBC के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट ख व ग के अनुसार क्रिमीलेयर मे नही होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जायेगा।

(IV) भारत सरकार मे नियुक्तियो के लिये परिशिष्ट–घ अनुसार

(D) <u>जाति प्रमाण–पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति :–</u> सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित परिस्थितियो मे दुबारा जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

(i) प्रमाण–पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate Copy) जारी की सकेगी।

(ii) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा।

(iii) कालान्तर मे आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग करने पर नये फोटो युक्त नवीन प्रमाण–पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावेगा।

(IV) यदि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त सलंग्न दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त जाति प्रमाण–पत्र

मे जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित मे समस्त साक्ष्यो सहित आवेदन कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का यह निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है तो वह संबन्धित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्देश दे सकेगी। एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणो सहित जारी किया जायेगा।

4. <u>जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि :–</u>

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबधी प्रमाण–पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
2. क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर मे नही होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ–पत्र **(परिशिष्ट–क)** लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

5. <u>जाति प्रमाण–पत्रो का सत्यापन :–</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान मे प्रवेश लेने, किसी नियोक्ता के अधीन सेवा मे नियोजित होने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि उक्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर कोई आरक्षण/रियायत प्राप्त की गयी हो तो शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन करवाया जाकर सत्यापन रिर्पोट संबन्धित प्राधिकारी को उनके वांछितानुसार भिजवायी जा सकेगी। उक्त सत्यापन रिर्पोट 6 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी आवश्यक होगी। यदि कोई प्रकरण सर्तकता समिति एवं छानबीन समिति मे विचाराधीन है तथा उसमे अन्तिम निर्णय मे विलम्ब हो रहा हो तथा शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता के यहां पर निर्धारित अंतिम तिथि निकल गयी हो तो शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) प्रवेश/नियुक्ति दी जाएगी तथा वह प्रवेश/नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के आधीन रहेगी।

6. <u>जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति :–</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के शंकाग्रस्त, फर्जी /झूठा जाति प्रमाण–पत्र जारी हो जाने की स्थिति मे एवं जाति प्रमाण–पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रमाण–पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले मे एक जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सतर्कता समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.6(10)प्र0सु0./अनु. 3/2011 दिनांक 23.07.15 को गठन किया गया है। (परिशिष्ट–बी) जो कि निम्न प्रकार से है :–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माढा), जिला परिषद	सदस्य
4.	संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

उपरोक्त समिति मे झूठे फर्जी एव शंकास्पद जाति प्रमाण–पत्रो के मामले दर्ज किये जा सकेगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रो की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण–पत्र की वैद्यता/अवैद्यता के संबंध मे समुचित आदेश दो माह मे जारी करेगी। तथा संबन्धित पक्षो को उक्त निर्णय से पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब सूचना दी जावेगी। परन्तु उक्त सूचना अधिकतम एक माह मे दी जावेगी तथा नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता/संरक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि मे निर्णय नही किया जा सकता है तो उसके कारणो का अकंन किया जाना आवश्यक होगा। तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को भी तत्काल दी जावेगी।

जाति प्रमाण–पत्र की सत्यता का परीक्षण करने के समय सम्बन्धित पक्षो यथा शिकायतकर्त्ता एवं जिसका जाति प्रमाण–पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा एवं नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता/संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेगे।

7. जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध राज्य स्तरीय छानबीन एवं सर्तकता समिति में अपील :–

जाति प्रमाण–पत्र के सबध मे शिकायतकर्त्ता एवं वह पक्ष जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति मे जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस मे अपील की जा सकेगी।

झूठे एवं शंकास्पद/फर्जी जाति प्रमाण–पत्रो को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणो को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10)प्र.सु.वि/अनु–3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.2011 (परिशिष्ट–ए) द्वारा निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है :–

1.	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, जनजातिय विकास विभाग	सदस्य

उक्त राज्य स्तरीय छानबीन समिति जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरूद्ध अपील दायर होने पर युक्तियुक्त समय मे उक्त जाति प्रमाण पत्र के संबंध मे जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर पर पुनः संबन्धित प्रकरण यथा जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गयी जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेगी। एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। एवं जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा जिसकी पालनाके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाध्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किए गये निर्णय को शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जावेगा।

8. राज्य सर्तकता प्रकोष्ठ :–

जाति प्रमाण पत्रो के संबंध में आवश्यक जॉच पडताल करने बाबत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11(1)/छाःसा०/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40560 दिनांक 04.08.14 द्वारा निम्न प्रकार से एक राज्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।(परिशिष्ठ–सी)

1. उपनिदेशक(पिजा0) मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।
2. विधिअधिकारी / विधि सहायक मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।

A 9.9.15

3. संबंधित समाज कल्याण अधिकारी

4. संबंधित संयुक्त शासन सचिव/ उपशासन सचिव जनजातिय क्षेत्रीय विभाग जयपुर।

उपरोक्त प्रकोष्ठ छानबीन समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

9. <u>झूठे जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में दण्डात्मक कार्यवाही:-</u>

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जॉच के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों /साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसके विरूद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंघन करके अवैध प्रमाण पत्र जारी किया है तो उन दोषी कार्मिकों / प्राधिकारियों के विरूद्ध भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

10. <u>रिकार्ड संधारण –</u>

(I) जाति प्रमाण–पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि व्यक्ति के पूर्वजो एवं भावी पीढी की पहचान का आधार होता है जाति प्रमाण–पत्र के संबंध मे प्रत्येक तहसील कार्यालय मे एक संकलित स्थायी रजिस्ट्रर का संधारण करते हुए उक्त समस्त रिकार्ड साफ–सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा मे रखे जायेगे तथा उक्त जाति प्रमाण–पत्रो का आजीवन स्थाई रिकार्ड संधारित किया जावेगा। उक्त रिकार्ड निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध करवाये जायेगे।

(II) <u>रिकार्ड रखरखाव अवधि–</u>

(क) जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्ट्रर/ रिकार्ड संधारित किया जायेगा जो कि स्थायी रूप से आजीवन रहेगा।

(ख) व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखी जायेगी तथा उसकी रखरखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी।

11. <u>ऑन लाईन आवेदन</u> :– अनुसूचित जाति / जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप मे समस्त दस्तावेजो सहित सम्पूर्ण राज्य मे कार्यरत ई–मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले मे नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किये जाने वाले सीएससी केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेबसाइट से ऑन–लाईन जारी किये जायेगें। आवेदन पत्र मे आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति मे उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नही है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड मे उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

उक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

9.9.2015

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

(65

क्रमांकः–एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ 54160–290 जयपुर दिनांक 09/09/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय सान्याअवि राजस्थान सरकार जयपुर
2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
3) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
4) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
6) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
8) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
9) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10) समस्त संभागीय आयुक्त.....
11) समस्त जिला कलक्टर.....
12) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
13) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
14) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
15) गार्ड फाईल

9.9.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(66)

परिशिष्ट – अ

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/– रुपया

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को / से चयन करें)

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

1. प्रार्थी का नाम*

2. पिता का नाम*

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिसंपा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करायें)

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :–

(ख) स्थाई पता :–

4. गाँव/शहर* तहसील* जिला*

5. जन्म दिनांक: जन्म स्थान उम्र

6. लिंग* पुरुष महिला वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित

7- धर्म (आवेदक)*: जाति* : अनुसूचित जाति/ जनजाति उप जाति*

8. धर्म (पिता का)* जाति* : उप जाति*

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ नहीं

11. मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

D/Ankshy/Cast Certificates

(6)

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी _____

के/की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति _____ का/की है।

प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर _____ दिनांक _____

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं .....

प्रमाण–पत्र

(i) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ पद _____ पर

कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति _____

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(ii) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ पद _____ पर

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति _____

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–
आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के नामिकरण हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।
पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सभिय)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी /सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

शपथ–पत्र

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

गांव/शहर [ ] तहसील [ ] जिला [ ]

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति [ ] का/की सदस्य हूं।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3)मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये है।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(60)

परिशिष्ट – ब

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा
अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र

आवेदक का आधार नम्बर
आवेदक/परिवार के मुखिया का मामाशाह कार्ड संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ——— सुपुत्र/पुत्री ——— गांव/नगर ——— जिला/डिवीजन ——— राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ——— जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी ——— और अथवा उसी परिवार ——— गांव/नगर ——— जिला/डिवीजन ——— राज्य। संघ राज्य क्षेत्र ——— में सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर ———
पद नाम ———
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान ——— राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
तारीख ———

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

D/Ashish/Cast Certificates

परिशिष्ठ – क

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मदें स्थानीय स्थिति की उपयुक्ता के अनुसार प्रारूप में सम्मिलित की जा सकेगी)

प्रेषिती

_____

_____

_____

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्ठयाँ नीचे दे रहा हूं–

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

1– आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

2– जन्म तिथि :

3– निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान
(ख) स्थाई

4– धर्म

5– जाति

6– उपजाति :

7– उपजीविका – वर्ग

8– अ.पि.व. की राज्य सूची में
जाति का क्रम संख्यांक :

9– पिता का नाम

10– माता का नाम :

11– पति का नाम

12– माता–पिता / पति की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
[क] संवैधानिक पद			
[ख] पद नाम			
[ग] सरकारी सेवायें			

	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)			
(ii) पद नाम			
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख

(v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)

(ii) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद नाम

(iii) सेवा की कालावधि (दिनांक ..... से ..... तक)

(iii) मृत्यु/स्थाई अक्षमता (यदि लागू हो तो छोड़ दीजिए)

(i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।

(ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद का नाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

(i) पद नाम

(ii) वेतनमान

(ङ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।

(i) उप-जीविका/वृत्ति

(च) सम्पत्ति के स्वामी

(छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)

(1) अवस्थिति

(2) जोत का आकार

(3) क – सिंचित

सिंचित भूमि का प्रकार

1.

2.

3.

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो–राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

1 फसल/फल

2 अवस्थिति

3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति।

2 सम्पत्ति का ब्यौरा

3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ङ) आय/धन।

(च) 1 समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

2 क्या करदाता है (हां/नहीं) ( ) यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।

3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होउंगा जो विधि और या नियमों के उपाबंधित की जायें।

भवदीय,

स्थान

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

परिशिष्ट –ख

फोटो

रजिस्ट्रेशन ..... दिनांक

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी ——————पुत्र/पुत्री —————— राजस्थान राज्य के जिला —————— में ग्राम/नगर —————— की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी —————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से —————— वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी – —————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प/7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

परिशिष्ट– ग

फोटो

रजिट्रेशन .....

दिनांक :

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर _____

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ पुत्र / पुत्री _____ राजस्थान राज्य के जिला _____ में ग्राम / नगर _____ की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।
2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी _____ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से _____ वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी _____ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Anilesh/Case Certificates

(75)

परिशिष्ठ–घ

THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTEMRNT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

AADHAR NO OF APPLICANT

BHAMASHA CARD NO OF APPLICANT / HEAD OF FAMILY

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ..... son/daughter of ..... of village/ town ..... in District/Division ..... in the State/Union Territory ..... belong to the ..... community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of social justice and Empoverment's resolution no ..... dated.....* Shri/Smt/Kumari ..... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ..... District/division of the ..... the State/Union Territory . This is also to certify that he/she does not belong to the person/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt (SCT) dated 8.9.1993**

District Megistrate
Deputy Commissioner etc .

Dated:

Seal

---

*The authority issuing the certificate may have to mention the detail of Resolution of Government of india , in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**As amended form time to time

NOTE :- The term " Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

(76)

परिशिष्ट–ब

शपथ–पत्र / बयान

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

निवासी _____

गांव / शहर _____ तहसील _____ जिला _____

राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति _____ का / की सदस्य हूं।

(2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं / नहीं थे।

(3) मेरे माता / पिता सरकारी / निजी क्षेत्र में _____ पद पर कार्यरत है / थे।

(4) मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय _____ रूपये हैं।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(7) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूं / नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थिता / नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपबन्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D:\Ankesh\Cast Certificates

परिशिष्ट– च

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] कार्यालय का नाम [ ]

पद [ ] पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं वे अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति [ ]

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] कार्यालय का नाम [ ]

पद [ ] पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं वे अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति [ ]

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

No. 36012/22/93-Estt.(SCT)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi the 8th September 93

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India - Regarding.

....

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt.(SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case (Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990) the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the Socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt.(SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows:

(a) 27% (twenty severn per cent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27%.

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in column 3 of the Scheduled to this office memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

...../-

(d) The OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Governments' Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the date of this Office Memorandum.

(Hindi version will follow).

Sarita Prasad.

(Smt. Sarita Prasad)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of Government of India

Copy:

1. Department of Public Enterprises New Delhi.

2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi.

It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporations.

Central OBC Creamy layer criteria dated 08.09.1993

Copy received personally from Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training Government of India New Delhi

No. 36012/22/93-Estt. (SCT)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 8th September, 1993
OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India—Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case [Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990] the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows:

(a) 27% (twentyseven percent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27%.

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in column 3 of the Schedule to this office memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) The OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Governments' Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the date of this Office Memorandum.

Sd/-
(Smt. Sarita Prasad)
Joint Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Departments of Government of India.

Copy:

1. Department of Public Enterprises, New Delhi. : It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporation.
2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi. :

SCHEDULE

Description of category		To whom rule of exclusion will apply
1	2	3
I.	*CONSTITUTIONAL POSTS*	Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme court and of the High Courts; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller & Auditor General of India; (e) persons holding Constitutional positions of like nature.
II.	*SERVICE CATEGORY* A. *Group A/Class I officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits).*	Son(s) and daugther(s) of (a) parents, both of whom are Class I officers; (b) parents, either of whom is a Class I officer; (c) parents, both of whom are Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation. (d) parents, either of whom is a Class I officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. (e) parents, both of whom are class I officers die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases: (a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class-I officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation. (b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class-I officer, and may herself like to apply for a job.

शिक्षक समाचार राजस्थान

1	2	3
	B. *Group B/Class II officers of the Central & State Services (Direct Recuritment)*	Son(s) and daugther(s) of (a) parents both of whom are Class II officers. (b) parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier. (c) parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organsiation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation; (d) parents of whom the husband is a Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and (e) parents, of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation. Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases: Sons and daughters of (a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation. (b) Parents, both of whom are Class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.
	C. *Employees in Public Sector Undertakings etc.*	The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply mutatis mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, banks, Insurance Organisations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment, Pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category VI below will apply to the officers in these Institutions.

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1	2	3
III.	*ARMED FORCES INCLUDING PARA-MILITARY FORCES* (Persons holding civil posts are not included)	Son(s) and daughter(s) of parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para Military Forces; Provided that:— (i) if the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e., the category under consideration) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel: (ii) the service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed togther: (iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will appy to her independently.
IV.	*PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY*	
	(1) *Persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered Accountant, Income-Tax Consultant, financial or management consultant, dental surgeon, engineer, architect, computer specialist, film artists and other film professional, author, playwright, sports person, sports professional, media professional or any other vocations of like status.*	Criteria specified against Category VI will apply:—
	(II) *Persons engaged in trade, business and industry*	Criteria specified against Category VI will apply: *Explanation:* (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/wealth test will apply only on the basis of the husband's income. (ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with with it.

1	2	3
V.	*PROPERTY OWNERS*	
	A. *Agricultural holdings*	Son(s) and daughter(s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns (a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory ceiling area, or (b) both irrigated and unirrigated land, as follows: The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 80% or more of the stututory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occur. (ii) The rule of exlusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.
	B. *Plantations*	
	(i) Coffee, tea, rubber, etc.	Criteria of income/wealth specified in Category VI below will apply.
	(ii) Mango, citrus, apple plantations etc.	Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this Category will apply.
	Vacant land and/or buildings in urban areas or urban agglomorations	Criteria specified in Category VI below will apply. *Explanation:* Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.
VI.	*INCOME/WEALTH TEST*	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

1	2	3
		(b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. *Explanation:* (i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed; (ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interrugnum may be less.
	Explanation: Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule, it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.	

शैक्षिक समाचार राजस्थान

[प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) (i) दि. 28-9-93 में प्रकाशित]

कार्मिक (क-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 28, 1993

विषय:—राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

जी. एस. आर. 35 :—राजस्थान के राज्यपाल इसके द्वारा आदेश देते हैं कि राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 % (इक्कीस प्रतिशत) दिनांक 1 सितम्बर, 1993 के राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ. 11(25) आर एण्ड पी-/एस. डब्ल्यू. डी./86631, दिनांक 27 अगस्त, 1993 द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गई जातियों और वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

ये आरक्षण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे :—

(क) जो स्तरमान सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित है उन्हीं पर किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किये गये पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का समायोजन 21% के आरक्षण कोटे के प्रति नहीं किया जायेगा। आरक्षण को लागू करने के लिए अनुसरणीय प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

(ख) (i) उपर्युक्त आरक्षण इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/समुदायों पर लागू नहीं होगा।

(ii) अपवर्जन का नियम कारीगरों के रूप में कार्य करने वाले या आनुषंगिक उपजीविकाओं और आजीविकाओं में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। ऐसी उपजीविकाओं और आजीविकाओं की सूची अलग से जारी की जायेगी।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी। तथापि यह उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनमें भर्ती की प्रक्रिया इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व प्रारम्भ की जा चुकी है।

कार्मिक (क-5) विभाग

अधिसूचना सं.प. 9(8) कार्मिक/क–5/90, दिनांक 28-9-1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूची

क्र.सं.	प्रवर्ग का वर्णन	वह/वे जिस/जिन पर अपवर्जन का नियम लागू होगा
1	2	3
I	संवैधानिक पद	निम्नलिखित का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां):- (क) भारत का राष्ट्रपति । (ख) भारत का उप-राष्ट्रपति । (ग) उच्चतम न्यायालय के और उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीश । (घ) सं.लो.से.आ. और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक । (ङ) इसी प्रकार के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति ।
II	सेवा प्रवर्ग	
क.	अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं के समूह क/वर्ग-I के अधिकारी (सीधी भर्ती वाले)	निम्नलिखित का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां):- (क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग–I के अधिकारी हैं । (ख) माता–पिता, जिनमें से कोई वर्ग–I का अधिकारी है । (ग) माता–पिता, जो दोनों ही वर्ग–I के अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक मर जाता है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है । (घ) माता-पिता, जिनमें से कोई वर्ग–I का अधिकारी है, ऐसी/ऐसा माता/पिता मर जाती/जाता है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाती/जाता है और ऐसी मृत्यु या ऐसी अक्षमता के पूर्व किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में, जैसे कि

यू. एन., आई. एम. एफ., विश्व बैंक इत्यादि में 5 वर्ष से अन्यून किसी कालावधि तक नियोजन का फायदा उठा चुका है।

(ङ) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-I के अधिकारी हैं, और मर जाते हैं या स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं, और दोनों की ऐसी मृत्यु या ऐसी अक्षमता के पूर्व उनमें से कोई किसी भी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में जैसे कि यू. एन., आई. एम. एफ., विश्व बैंक इत्यादि में 5 वर्ष से अन्यून किसी कालावधि तक नियोजन का फायदा उठा चुका है :

परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :—

(क) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियां जिनमें से कोई या जो दोनों ही वर्ग-I के अधिकारी हैं और ऐसी/ऐसा/ऐसे माता-पिता मर जाती/जाता/जाते हैं या स्थायी रूप से अक्षम हो जाती/जाता/जाते हैं।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग वाले प्रवर्ग की कोई महिला, जिसने वर्ग-I के किसी अधिकारी से विवाह कर लिया है और जो स्वयं किसी नौकरी के लिये आवेदन करना चाह सकती है।

ख. केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं के समूह-ख/वर्ग-II के अधिकारी (सीधी भर्ती)

निम्नलिखित का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) :—

(क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-II के अधिकारी हैं ;

(ख) माता-पिता, जिनमें से केवल पति ही वर्ग–II का कोई अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु में या उसके पूर्व वर्ग–I में आ जाता है ;

(ग) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी है और जिनमें से एक मर जाता है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है और उनमें से कोई ऐसी मृत्यु या स्थायी

1	2	3
		अक्षमता से पूर्व किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में, जैसे कि यू. एन., आई. एम. एफ., विश्व बैंक इत्यादि में, 5 वर्ष से अन्यून कालावधि तक नियोजन का फायदा उठा चुका है;
		(घ) माता-पिता, जिनमें से पति वर्ग–I का कोई अधिकारी (सीधी भर्ती का, या चालीस की आयु के पूर्व पदोन्नत) है और पत्नी वर्ग–II की अधिकारी है तथा पत्नी मर जाती है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाती है;
		(ङ) माता-पिता, जिनमें से पत्नी वर्ग–I की कोई अधिकारी (सीधी भर्ती की या चालीस की आयु के पूर्व पदोन्नत) है और पति वर्ग–II का कोई अधिकारी है तथा पति मर जाता है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है :
		परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :—
		निम्नलिखित का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) :—
		(क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं और जिनमें से एक मर जाता है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है;
		(ख) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं, और दोनों ही मर जाते हैं या स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं, भले ही उनमें से कोई अपनी मृत्यु के या स्थायी रूप से अक्षम होने के पूर्व 5 वर्ष से अन्यून किसी कालावधि तक किसी भी अन्त-

राष्ट्रीय संगठन में, जैसे कि यू.एन., आई.एम.एफ., विश्व बैंक इत्यादि में नियोजन का फायदा उठा चुका है।

ग. पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, आदि में के कर्मचारी	इस प्रवर्ग में ऊपर क और ख में प्रगणित मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में उनके समकक्ष या समतुल्य पदों का तथा प्राइवेट नियोजन के अधीन उनके समकक्ष या समतुल्य पदों और पदस्थितियों का धारण करने वाले अधिकारियों पर भी लागू होंगे। इन संस्थाओं में समकक्ष या समतुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन होने तक इन संस्थाओं के अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे।
III पैरा-मिलीटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारित करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)	ऐसे माता-पिता का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई या दोनों ही सेना में कर्नल और उससे ऊपर की रैंक में और नौ-सेना और वायु-सेना में तथा पैरा-मिलिट्री बलों में समान पदों पर हैं :

परन्तु :—

(i) यदि सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र बल (अर्थात् विचाराधीन प्रवर्ग) में हो तो अपवर्जन का नियम तभी लागू होगा जब वह कर्नल की रैंक पर पहुंच चुकी हो ;

(ii) पति और पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा रैंकों को एक साथ संयोजित नहीं किया जायेगा ;

(iii) यदि सशस्त्र बलों में के किसी अधिकारी की पत्नी सिविल नियोजन में है तो अपवर्जन का नियम लागू करने के लिए उसे तब तक हिसाब में नहीं लिया जायेगा जब तक वह

1	2	3
		मद सं. 11 के अधीन के सेवा प्रवर्ग में नहीं आती है, उस दशा में उसमें प्रगणित मानदण्ड और शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।
IV	व्यवसायी वर्ग और व्यापार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति	प्रवर्ग VI के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे।
	(i) डाक्टर, वकील, चार्टेट एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शी वित्तीय या प्रबन्ध परामर्शी अर्थात् सर्जन, इंजीनियर, वास्तुविद, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार, अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेल व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी के रूप में या इसी प्रकार की प्रास्थिति वाले किन्हीं भी अन्य व्यवसायों में लगे हुए व्यक्ति	
	(ii) व्यापार, कारबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति–	प्रवर्ग VI के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे : स्पष्टीकरण :– (i) जहां पति किसी व्यवसाय में हो और पत्नी वर्ग–II या उससे निम्नतर श्रेणी के नियोजन में हो वहां आय/धन का माप दण्ड केवल पति की आय के आधार पर लागू होगा। (ii) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो और पति वर्ग–II या उससे निम्नतर पद पर नियोजन में हो तो आय/धन का मान दण्ड केवल पत्नी की आय के आधार पर लागू होगा और पति की आय को उसके साथ संयोजित नहीं किया जायेगा।

V सम्पत्ति के स्वामी

क. कृषि जोतें

किसी ऐसे कुटुम्ब (पिता, माता और अवयस्क बच्चे) के व्यक्तियों का/के/की पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) जिसके स्वामित्व में—

(क) केवल ऐसी सिंचित भूमि है जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 % के बराबर या उससे अधिक है, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों भूमियां, निम्नानुसार हैं :—

अपवर्जन का नियम वहां लागू होगा जहां यह पूर्व शर्त विद्यमान हो कि सिंचित क्षेत्र (जो किसी समान डिनोमिनेटर के अधीन एक ही किस्म का बना दिया गया हो) सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी अधिकतम सीमा का 40% या उससे अधिक है (यह असिंचित भाग को छोड़कर गिना जायेगा)। यदि 40% से अन्यून की यह पूर्व-शर्त विद्यमान हो तो केवल असिंचित भूमि के क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह असिंचित भूमि को विद्यमान संपरिवर्तन सूत्र के आधार पर सिंचित किस्म में संपरिवर्तित करके किया जायेगा। असिंचित भूमि से इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र, सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जायेगा और यदि ऐसे संयोजन के पश्चात् सिंचित भूमि के निबंधनों के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम सीमा का 85% या उससे अधिक हो तो अपवर्जन का नियम लागू होगा और हक नहीं होगा।

(ii) यदि किसी कुटुम्ब की कृषि जोत अनन्यतः असिंचित हो तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा। नीचे के प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट आय/धन के मानदण्ड लागू होंगे।

ख. बागान

(i) काफी, चाय, रबड़ आदि।

(ii) आम, नींबू, प्रजाति, सेब बागान आदि

कृषि जोत मानी गयी है इसलिए इस प्रवर्ग के अधीन ऊपर (क) वाले मानदण्ड लागू होंगे।

ग. नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्तियों में की खाली भूमि और/या भवन

नीचे के प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे।

स्पष्टीकरण:—भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजनों और ऐसे ही दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

1	2	3
VI	आय/धन का मान दण्ड,	निम्नलिखित का/के/की पुत्र और (पुत्रियां):– (क) एक लाख रुपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले या धन-कर अधिनियम में विहित छूट-सीमा से अधिक धन कमवर्ती तीन वर्षों की कालावधि तक रखने वाले व्यक्ति । (ख) प्रवर्ग I, II, III और V क में के ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण के फायदे के हक से वञ्चित नहीं है किन्तु जिन्हें धन के अन्य स्रोतों से ऐसी आय होती है जो उन्हें ऊपर (क) में वर्णित आय/धन के मानदण्ड के अन्तर्गत ले आये । स्पष्टीकरण : (I) वेतनों या कृषि भूमि से प्राप्त आय संयोजित नहीं की जायेगी ; (II) रुपये के रूप में आय के मानदण्ड को उसके मूल्य में हुए परिवर्तन को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में उपांतरित किया जायेगा । तथापि, यदि परिस्थितियां अपेक्षा करें तो अन्तराल कम हो सकेगा । स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "स्थायी अक्षमता" प्रयुक्त हुई है उससे ऐसी अक्षमता अभिप्रेत होगी जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को सेवा से हटा दिया जाये ।

[संख्या प. 9(8)कार्मिक/क–5/90]

ए. के. पाण्डे,

शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-V)

NOTIFICATION

Jaipur, September 28, 1993.

Sub:—Reservation for Backward Classes in posts and service under the Government of Rajasthan Regarding.

G. S. R. 35.—The Governor of Rajasthan is hereby pleased to order that 21% (Twenty one percent) of the Vacancies in posts and services under the State Government, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the castes and classes included in the list of Backward Classes as notified vide Social Welfare Department Notification No. F. 11 (125) R&P/SWD/46631, dated 27th August, 1993, published in Rajasthan Gazette, Extraordinary dated 1st September, 1993.

These reservations will be subject to the following conditions:—

(a) Candidates belonging to Backward Classes recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 21%. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in Column 3 of the schedule annexed to this notification.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations and callings. A list of such occupations and callings will be issued separately.

This notification will come into force with immediate effect. However this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this notification.

Schedule to Notification No. F. 9(8) DOP/A-V/90, dated 28th September, 1993.

S. N.	Description of category	To whom rule of exclusion will apply
1	2	3
I.	CONSTITUTIONAL POSTS	Son (s) and daughter (s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Courts; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller & Auditor-General of India; (e) Persons holding Constitutional positions of like nature.
II.	SERVICE CATEGORY	
	A. Group A/Class I Officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits)	Son (s) and daughter (s) of (a) Parents, both of whom are Class I Officers; (b) Parents, either of whom is a Class I Officer; (c) Parents, both of whom are Class I Officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation.

(d) Parents, either of whom is a Class I Officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years.

(e) Parents, both of whom are Class I Officers die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IME, World Bank; etc. for a period of not less than 5 years:

Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:—

(a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class I Officers and such parent (s) dies/die or suffer permanent incapacitation.

(b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class I Officer, and may herself like to apply for a job.

B. Group B/Class II Officers of the Central & State Services (Direct Recruitment)	Son (s) and daughter (s) of (a) Parents both of whom are Class II Officers. (b) Parents of whom only the husband is a Class II Officer

1	2	3
		and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.
		(c) Parents, both of whom are Class II Officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation.
		(d) Parents of whom the husband is a Class I Officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II Officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and
		(e) Parents, of whom the wife is a Class I Officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II Officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation.
		Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:
		Son (s) and daughter (s) of
		(a) Parents both of whom are Class II Officers and one

of them dies or suffers permanent incapacitation.

Son (s) and daughter (s) of

(b) Parents, both of whom are Class II Officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International organisation like UN, IMF, world Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.

C. Employees in Public Sector Undertakings, etc.

The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply **mutatis mutandis** to officer holding equivalent of comparable posts in PSUs, banks, Insurance Organisations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment, pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in category VI below will apply to the officers in these institutions.

III. ARMED FORCES INCLUDING PARA-MILITARY FORCES
(Persons holding civil posts are not included)

Son (s) and daughter (s) of parents either or both of whom is or are in the rank of colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para-Military Forces.

Provided that :

(i) If the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e. the category under considera-

1	2	3
		tion) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel; (ii) The service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed together; (iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the Service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.
IV. PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY (I) Persons enged in profession as a doctor, lawyer, Chartered Accountants, Income-Tax Consultant, Financial management Consultant, i. e. Surgeon, Engineer, Architect, computer specialist film artists and other film professions, author, playwright, sports person, sports professional, media professional or any other vocations of like status.		Criteria specified against Category VI will apply:—

II) Persons engaged in trade, business and industry.	Criteria specified against Category VI will apply. **Explanation :** (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/wealth test will apply only on the basis of the husband's income. (ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.
V. PROPERTY OWNERS A. Agricultural holdings	Son (s) and daughter (s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns— (a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of tht statutory ceiling area, or (b) both irrigated and unirrigated land, as follows: The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this

1	2	3
		pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 85% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occur).
		(ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.
B. Plantations		
(i) Coffee, tea, rubber, etc. (ii) Mango, citrus, apple plantations etc.	Criteria of income/wealth specified in Category below will apply.	
C. Vacant land and/or buildings in urban areas or urban agglemortions.	Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this Category will apply. Criteria specified in Category VI below will apply.	

Explanation:

Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.

VI. INCOME/WEALTH TEST

Son (s) and daughter (s)

(a) Persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

(b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above.

Explanation:

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

(ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interrugnum may be less.

1	2	3
		Explanation : Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule, it shall mean in capacitation which results in putting an officer out of service.

[No. F. 9 (8) DOP/A-V/90]

प. के. पाण्डे,

Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-5) विभाग

क्रमांक प. 9(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक 1999

परिपत्र

विषय-राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण- जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु आदेश।

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 9(8)कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम तीन में अन्य पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों/ वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ठ किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दु संख्या-11 में राजकीय सेवाओं में कार्यरत वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित है। इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-1 व ग्रुप-2 स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान 1998 लागू किये जाने के उपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार के समकक्ष वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों के संशोधित मापदण्ड निम्न प्रकार किये जाते हैं:-

	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वेतनमान के पश्चात वर्गीकरण
वर्ग-1	वेतनमान संख्या 16 (2200-4000) से (5900-6700)	वेतनमान संख्या 13 (8000-13500) से 22 (18400 - 22400)
वर्ग-11	वेतनमान संख्या 13 (1640-2900) से 15 (2000-3500)	वेतनमान संख्या 11(5500-9000) से 12 ए (7500 - 12000)

अतः इस सम्बन्ध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अन्य पिछड़े वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को उपरोक्त निर्धारित संशोधित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राज० जयपुर।
2. विशि० सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज० जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, (जिला कलेक्टरों सहित)।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. निबन्धक, राज० उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निबन्धक, राज० सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

कैलाश

30.4.1999.

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांक– प. 9(8)कार्मिक/क–5/90 जयपुर, दिनांक–२२ जून, १९९

परिपत्र–आदेश

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची में कुछ व्यक्तियों / वर्गों को अपवर्जन में विनिर्दिष्ठ किया गया है जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अन्य पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अभ्यार्थियों को जो अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दू संख्या I,II,III एवं V"क" के ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ के हक से वंचित नहीं है, परन्तु बिन्दू संख्या VI "क" एव"ख" के परिप्रेक्ष्य में आय/ धन सीमा का आंकलन करते समय, क्रमश : वेतन या कृषि भूमि से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है, जब कि बिन्दू संख्या VI "क" एवं "ख" के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (i) में स्पष्ट किया गया है कि वेतनों या कृषि भूमि से प्राप्त आय संयोजित नहीं की जाएगी ।

उक्त प्रकरण का परीक्षण किया जाकर इस सम्बन्ध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :–

"अधिसूचना दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के प्रवर्ग I,II,III और V "क" के ऐसे व्यक्ति जो उक्त बिन्दुओं के सम्मुख वर्णित अपवर्जन के नियमों की परिधि में नहीं आते हैं, उनकी बिन्दू संख्या VI "क" व "ख" के परिप्रेक्ष्य में उनकी सकल वार्षिक आय/ धन सीमा का आंकलन करते समय उनकी वेतन या कृषि भूमि से प्राप्त आय को आय /धन की एक लाख रूपये या उससे अधिक की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाना है ।

परन्तु उनकी वेतन या कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों (जैसे –वेल्थ आय,किराया आदि) से होने वाली आय / धन सीमा एक लाख रूपये या उससे अधिक हो जाती है तो उन पर अपवर्जन का नियम लागू होगा ।"

अतः कृपया इस सम्बन्ध में जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अन्य पिछडा वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को उपरोक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाकर जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जावे ।

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री महोदय,राज0,जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक,मंत्री/राज्य मंत्री ,राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव,मुख्य सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
4. निजी सचिव,समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,राज0,जयपुर ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)

(एस.एन.धूपड)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव,लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर ।
2. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
3. सचिव,राजस्थान विधान सभा,जयपुर ।
4. निबन्धक ,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर ।
5. निबन्धक,राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ।

(एस.एन.धूपड)
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-V)

...

No.F.9(8)DOP/(A-V)/90 Jaipur, dated 2-11-99

NOTIFICATION

The Governor of Rajasthan is hereby pleased to make the following amendment in this Department Notification of even number dated 28/9/93 regarding reservation for Backward Classes in posts and services under the Government of Rajasthan, with immediate effect:-

AMENDMENT

In the Schedule appended to the said Notification, the existing clause (a) appearing in column No.3 against Serial Number VI, shall be substituted by the following namely:-

"(a)- Persons having gross annual income of rupees two lakhs and fifty thousand or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years."

By Order of the Governor,

Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
कार्मिक विभाग
(क-5)

सं0एफ0 9(8)डी ओ पी/ए-V/90 जयपुर, दिनांक 2-11-99

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में इस विभाग की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 28-9-93 में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में, क्रम संख्या VI के सामने स्तम्भ संख्या 3 में आये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"(क) - दो लाख पचास हजार रुपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले या धन कर अधिनियम में विहित छूट-सीमा से अधिक धन क्रमवर्ती तीन वर्षों की कालावधि तक रखने वाले व्यक्ति।"

राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव।

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-5) विभाग

सं0प0 09(8)कार्मिक/क-5/90 जयपुर, दिनांक 24/11/99

समस्त जिला कलेक्टर्स।

विषय:- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु निर्देश।

समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प0 11(125) आरएण्डपी/सकवि/99/74085, दिनांक 3-11-99 के द्वारा राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या "54" पर "जाट" जाति का नाम "भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को छोड़कर समस्त राज्य के लिये" तथा अधिसूचना संख्या प0 11(125)(3)(4)(5) आरएण्डपी/सकवि/75681, दिनांक 12-11-99 के द्वारा विभिन्न 18 जातियों के नाम जोड़े जाने के उपरान्त विभिन्न जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त जातियों के व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति चाही गई है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गयी जातियों/वर्गों एवं भविष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की जाने वाली जातियों/वर्गों के व्यक्तियों को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र-आदेश दिनांक 25-11-93 एवं 21-3-94 के अन्तर्गत नियमानुसार अन्य पिछड़े वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जा सकेंगे। जाति प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित अधिसूचनाओं/पत्रों के सन्दर्भों को जाति विशेष के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिये जाएं।

(बी0पी0 आर्य)
शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

-----2/-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- समस्त विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, जयपुर।
5- समस्त विभागाध्यक्ष।
6- गार्ड फाईल।

(डी०के० विजय)
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5- निबन्धक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(डी०के० विजय)
उप शासन सचिव।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Personnel (A-V)

No.F.9(8)DOP/A-V/2000 Dated: February 02, 2001

CIRCULAR

SUBJECT: Reservation for Other Backward Classes in posts and services under the State Government – clarification regarding application of Rule of Exclusion in certain situations.

In the Schedule annexed with this Department's Notification No.F.9(8)DOP/A-V/90 dated 28/09/93 such Persons/Categories of Persons have been specifically mentioned who will not be entitled (excluded) for the benefit of reservation of Other Backward Classes. With respect to "CONSTITUTIONAL POSTS" it has been prescribed that the Rule of Exclusion will apply to persons holding Constitutional Positions like President of India, Vice-President of India, Judges of the Supreme Court and of the High Courts, Chairman & Members of U.P.S.C. and of the State Public Service Commission, Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General of India and "**Persons holding Constitutional positions of like nature**". In this regard clarification has been sought as to whether Ministers in the State Government would fall under the category of "Persons holding Constitutional positions of like nature" and the Rule of Exclusion will apply to their sons and daughters. The matter has been examined in consultation with the Law Department and the position is clarified as under:-

Ministers of the State Government are Constitutional functionaries but their tenure being temporarily and often transitory they are not supposed to have shed their backwardness in such short periods. Therefore, the Rule of Exclusion will **not apply** to the sons and daughters of Ministers and they will be entitled for other Backward Classes reservation, **provided their parents do not fall in Category VI of the Schedule**.

Clarification has also been sought whether the Rule of Exclusion will apply in the case of sons and daughters of the Officers enumerated in the "SERVICE CATEGORY" even after they retire on superannuation. In this context it is hereby clarified that retirement on superannuation has no effect on be Rule of Exclusion. Therefore, retirement on superannuation of the specified category of Officers has no effect on their offsprings, who are once defined as "Creamy Layer".

These clarifications may be brought to the notice of all concerned and they may be directed to take action accordingly.

02/2/2001
(Ashok Sampatram)
Secretary to Government

Copy forwarded to the following for necessary action :-

1. Secretary to H.E. the Governor/ Chief Minister.
2. All Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
3. All Heads of Departments (including Divisional Commissioners and District Collectors).
4. All Departments/Sections of Rajasthan Secretariat.

Deputy Secretary to the Government

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan high Court, Jaipur/Jodhpur.
5. Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur

Deputy Secretary to the Government

OBC Certificate - Clarifications

OBC Certificate - Clarifications

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Personnel (A-V)

No.F.9(8)/DOP/A-V/2000 Dated: March 05, 2001

CIRCULAR

SUBJECT: Reservation for Other Backward Classes in posts and services under the State Government - clarification regarding application of Rule of Exclusion in certain situations.

Vide Department of Personnel (A-V) Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 21% of the vacancies in posts and services under the State Government have been reserved for Other Backward Classes. The Schedule annexed with this Notification specifies the various categories of persons who shall be excluded for the purposes of providing the benefit of reservation to the Other Backward Classes. Clarification have been sought by various officers regarding applicability of the Rule of Exclusion in certain specific circumstances / situations. The matter has been examined in consultation with the Law Department and the following clarifications are hereby issued for the guidance of all concerned :-

ISSUE: **Whether the benefit of reservation for Other Backward Classes would be admissible to a woman who herself does not belong to one of the castes which have been recognised as Other Backward Classes in the State but marries a person who belongs to one of the castes which has been recognised as Other Backward Classes**

CLARIFICATION: In the case of a married woman, her pre-marital status is relevant for determining whether she belongs to Other Backward Classes; marriage has no impact on her status in this regard. Therefore, the benefit of reservation for Other Backward Classes will not be admissible to a woman who was born in any of the castes which is not notified as one of the Other Backward Classes.

ISSUE: **Whether in the case of a married woman the income of the parents should be taken into account or the income of the husband should be taken into account.**

CLARIFICATION: Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category, Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (**both Father and Mother**) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the husband of the woman has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

ISSUE: **Whether in the case of a person who is an adult, has his own independent source of income, and is living separately from his parents the income of the parents has to be taken into consideration or the income of the individual has to be taken into consideration.**

CLARIFICATION: As stated above, Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category, Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (**both Father and Mother**) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the individual has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

Certain other clarifications on the subject had been issued vide this Department's Circular of even No. dated February 02, 2001. All District Collectors are requested to discuss these clarifications in the monthly meeting of Revenue Officers so as to bring these clarifications to the notice of all Revenue Officers. All Sub-Divisional Officer may be directed to bring these clarifications to the notice of their subordinate Revenue Officers i.e. Tehsildars / Naib-Tehsildars / Inspectors of Land Revenue / Patwaries for ensuring strict compliance.

05/3/2001
(Ashok Sampatram)
Secretary to Government

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Copy forwarded to the following information and further necessary action :-

1. Secretary to H.E. the Governor / Chief Minister.
2. All Principal Secretaries / Secretaries / Special Secretaries to the Government.
3. All Heads of Departments (including Divisional Commissioners and District Collectors).
4. All Departments / Sections of Rajasthan Secretariat

Deputy Secretary to the Government

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur / Jodhpur.
5. Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur

Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Personnel (A-5)

No.F.9(26)/Karmik/Ka-5/95 Dated: July 11, 2001

To,

The Collector & District Magistrate,
KOTA.

SUBJECT: Clarification regarding applicability of creamy layer in the matter of reservation for Other Backward Classes.

REFERENCE: Your letter No.Nyaya/Jati/2001/2900 dated May 21, 2001.

Dear Sir,

Kindly refer to your above-mentioned letter dated May 21, 2001 whereby you have sought certain clarifications regarding applicability of creamy layer regarding reservation for the Other Backward Classes. The two issues on which clarification has been sought by you are hereby clarified as follows :-

ISSUE: Applicability of the Rule of Exclusion under "II. SERVICE CATEGORY" of the schedule appended to Notification No.F.9(8)DOP/A-V/90 dated Sept 28, 1993..

The matter has been examined with reference to the Schedule appended to Notification No.F.9(8)DOP/A-V/90 dated Sept 28, 1993 and this department's Circular of even No. dated May 01, 1999 . The entry at (A) under Service Category states that Group A / Class I Officers of State Services are covered under this entry. Similarly, the entry at (B) under Service Category states that Group B / Class II Officers of the State Services are covered under this entry. Vide this department's above-mentioned Circular dated May 01, 1999 it has been clarified that all government servants who have been **directly recruited** on the posts in pay scale Nos. 13 to 22 and are drawing pay in Pay Scale Nos. 13 (8000-13500) to 22 (18400-22400) shall be deemed to be equivalent to Class I Officers of the Central Government. Similarly, it has been clarified that all government servants who have been **directly recruited** on the posts in pay scale Nos. 11 to 12-A and are drawing pay in Pay Scale Nos. 11 (5500-9000) to 12-A (7500-12000) shall be deemed to be equivalent to Class II Officers of the Central Government. This Circular does not refer to any particular Service. Therefore, it is hereby clarified that all the employees of the State Government who are drawing pay in the above-mentioned Pay Scales will

OBC RESERVATION GUIDELINES

be covered under this Category provided they are directly recruited in any of these pay scales and their children shall not be eligible for availing the benefit of reservation for the Other Backward Classes.

ISSUE: Whether government servants will be covered only under Category II "SERVICE CATEGORY" or the "INCOME/WEALTH TEST" prescribed under Category VI will also be applicable to them.

This provision is an independent yardstick for determining eligibility for availing the benefit of reservation for Other Backward Classes and it is applicable to government servants also. In this connection attention is invited to Explanation (i) under Category VI "INCOME/WEALTH TEST" which clearly states that income from salaries / agricultural land shall not be clubbed for the purposes of calculating the gross annual income with reference to this Category. Therefore, if the gross annual income of a government servant, excluding the income from salary and from agricultural land, is more than Rs 2.50 lakhs per annum then the benefit of reservation for Other Backward Classes will not be admissible to his/her children. Similarly, if any government servant possesses wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years the children of such government servant will also not be eligible for availing the benefit of reservation for Other Backward Classes.

You may bring the above-mentioned clarifications to the knowledge of all concerned for ensuring compliance.

Yours faithfully,

11/07/2007

(Ashok Sampatram)
Secretary to Government

Copy for information and necessary action to :

All Divisional Commissioners
All Collectors & District Magistrates

11/07/2007

Secretary to Government

संख्या 36033/5/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 14 अक्तूबर, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषयः- अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-(एस.सी.टी.) की अनुसूची, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने संबंधी मानदंड विहित हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों के बच्चों के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि ऐसे पुत्र तथा पुत्रियाँः-

(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हैं;

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी है;

(ग) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(घ) जिनके माता-पिता में से एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(ङ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हैं और जिनकी मृत्यु हो जाए अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(च) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हैं;

.....2/-

(छ) जिनके माता-पिता में से एक केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी है और वह 40 वर्ष अथवा इससे पूर्व की आयु में श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी बन जाए;

(ज) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

(झ) जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए; तथा

( ) जिनके माता-पिता में से पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए

तो उन्हे सम्पन्न वर्ग में शामिल समझा जाएगा ।

शिक्षक समाचार राजस्थान

2. अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ:-

(i) जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हों और यथा नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ;

(ii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;

(iii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाएँ, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग में सम्मलित नहीं समझे जाएँगे ।

.....3/

3. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे के निर्धारण के लिए तय किए गए मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होते हैं । ऐसे संगठनों जहाँ पदों का मूल्यांकन समकक्ष अथवा तुलनीय आधार पर नहीं किया गया है, के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण अनुसूची में दिए गए आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है । आय/सम्पत्ति परीक्षण में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा इससे अधिक है अथवा जिनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से लगातार तीन वर्ष तक अधिक रहती है तो उनके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग में शामिल समझे जाएँगे । आय/सम्पत्ति कर परीक्षण के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि वेतन से हुई आय अथवा कृषि से हुई आय को जोड़ा नहीं जाएगा ।

4. सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :

(i) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ ?

(ii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?

(iii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ?

(iv) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा श्रेणी के कारण सम्पन्न वर्ग मे आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सम्पन्न वर्ग में बने रहेंगे ?

.....4/-

(v) क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे, जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।।।/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो ?

(vi) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी ।।/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पहले श्रेणी ।/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(vii) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा जिसकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?

(viii) अनुदेशों में यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमो आदि मे कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ?

(x) आय/सम्पत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जाएगा " की व्याप्ति किस सीमा तक है ?

5. उपर्युक्त पैरा 4 के खंड (i), (ii), (iii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ जिनके :-

(क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।/समूह 'क' अधिकारी हैं और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;

(ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए; और

(ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-।।/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ, भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

.....5/

सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6. पैरा 4 के खंड (iv) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग में शामिल माना गया है, सम्पन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो ।

7. पैरा 4 के खंड (v) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ, जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए, सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी-IV/समूह 'घ' कर्मचारी हैं और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे ।

8. पैरा 4 के खंड (vi), (vii) और (viii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा 4 के खंड (ix) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:-

माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए । यदि माता-पिता की वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में से कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है, के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं

.....6/-

माना जाएगा, चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक ही क्यों न हो । यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जाएगा ।

10. पैरा 4 के खंड (x) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI में दिए गए अनुसार किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा । इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 2.5 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तो आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बशर्ते कि उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों की अवधि से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

11. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/कार्यालयों के ध्यान में ला दें ।

भवदीय,

(के. जी. वर्मा)

भारत सरकार के उप सचिव

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस पत्र की विषय वस्तु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें ।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिग प्रभाग) नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

- - - - - -